चतुर्थ माला, खंड 36, अंक 1 | शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970/1 फाल्गुन, 1891 (शक)
Fourth Series, Vol. XXXVI, No. 1 | Friday, February 20, 1970/Phalguna 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

Preservation Unit 4-8-94
Fumigated On 8-2-84
Parliament Library

[खंड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXVI contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया | *Price : One Rupee*

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

20 फरवरी, 1970 । 1 फाल्गुन, 1891 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
17	पंक्ति 15, 'अध्यादेश' के स्थान पर '30 दिसम्बर, 1969 से 14 फरवरी, 1970 की अवधि के बीच उद्घोषित अध्यादेश' पढ़िये ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 1, शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970/1 फाल्गुन, 1891 (शक)

No. 1, Friday, February 20, 1970/Phalguna 1, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सदस्यों की वर्णक्रमानुसार सूची	Alphabetical List of Members ..	I—VIII
लोक-सभा के पदाधिकारी	Officers of the House ..	IX
भारत सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री, आदि	Government of India-Ministers, Ministers of States etc. ..	X—XI
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	President's Address—Laid on the Table ..	1—11
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary References ..	11—15
अध्यक्ष महोदय	Mr. Speaker ..	11—12
श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi ..	12
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh ..	12—13
श्री रंगा	Shri Ranga ..	13
श्री अटल बिहारी बाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ..	13
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ..	14
श्री अ० कु० गोपालन	Shri A. K. Gopalan ..	14
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray ..	14
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	14
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri ..	14—15
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh ..	15
श्री शिंकरे	Shri Shinkre ..	15
व्यवस्था के प्रश्न	Points of Order ..	15—16
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	16—17
अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक—	Advocates (Second Amendment) Bill—	
प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समय में वृद्धि	Extension of time for presentation of Reports of Select Committee ..	18

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाजागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगडी, श्री स० अ० (कोप्पल)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरुद्धन, श्री क० (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री के० एम० (कोट्टयम)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमीन, श्री रा० की० (ढंढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरुमुगम, श्री (टेंकासी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्म दास, श्री (मुरैना)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फाजिलका)

उ

उइके, श्री (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुद्दू कोटै)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारदगा)
उलाका, श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री (मुवत्तुपुजा)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
ओबराय, श्री एम० एस० (हजारीबाग)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कथम, श्री बी० ना० (जलपाईगुड़ी)
कन्डप्पन, श्री (मैटूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कमलनाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गोहाटी)
कस्तुरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
कांबले, श्री (लातूर)
कामराज, श्री के० (नगरकोइल)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
काहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह, श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)

किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तात्रेय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वैल्लोर)
कुन्दू, श्री स० (बालासौर)
कुरील, श्री बै० ना० (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन् श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कडलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतन्त्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री गयूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खाडिलकर, श्री (खेड़)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
गणेश, श्री (अंडमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लाखन लाल (रायपुर)
गुरचरन सिंह, श्री (फीरोजपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्ददास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तू (त्रिपत्तूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुच्चे (चिकमगलूर)
गौतम, श्री चिं० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रशेखर सिंह, श्री (जहांनाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चह्वाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चह्वाण, श्री यशवन्तराव बलवन्तराव (सतारा)
चित्ती बाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा-पश्चिम)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बालमीकि (हाजीपुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चुं० (नागालैंड)
जगैया, श्री को० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल, श्री (टोंक)
जय सिंह, श्री (होशियारपुर)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)
जाधव, श्री तुलसीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर, श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लों, डा० गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तामस्कर, श्री (दुर्ग)
तारोडकर, श्री वें० बा० (नांदेड)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम् प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री बे० कृ० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जमुई)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिग्विजय नाथ, श्री महन्त (गोरखपुर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा, श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्चि)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री धीरेन्द्र नाथ (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवधरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देविन्द्र सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नायनार, श्री इ० के० (पालघाट)
नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री गुरु चरण (क्योंझर)
नायक, श्री रा० वें० (रायचूर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तूर)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्री नी० श्री कान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री बासुदेवन (पीरमाडे)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहालसिंह, श्री (चंदौली)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बुलसर)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ौदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभाई)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पस्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिन्डौन)
पाओकाई हाओकिप, श्री (वाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री चू० अ० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भोर)
पाटिल, श्री स० का० (बनासकांठा)
पाटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटोदिया, श्री देवकीनन्दन (जालोर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशीनाथ (पदरौना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृष्णनगर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मंगलौर)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० ऊ० (मचिलीपट्टणम)

फ

फरनेन्डीज, श्री जार्ज (बम्बई-दक्षिण)

ब

बख्शी, श्री गुलाम मुहम्मद (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमलानयन (वर्धा)
बदरुद्दुजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरमन, श्री किरित विक्रमदेव (त्रिपुरा-पूर्व)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबोर)
बरुआ, श्री राजेन्द्रनाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदाई)
बसवन्त, श्री (भिवंडी)
बसी, श्री सोहन सिंह (फिरोजपुर)
बसु डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री प० ल० (गंगानगर)
बिड़ला, श्री राधा कृष्ण (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)

बिष्ठ, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेहेरा, श्री बेधर (जाजपुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री अमीय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकार लाल (चित्तौड़गढ़)
ब्रह्म प्रकाश, श्री (वाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्द, स्वामी (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भगवान दास, श्री (औसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)
भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)

म

मंगलाथुमाडम, श्री (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जुगल (उलुबेरिया)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधोपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दिल्ली-दक्षिण)
मनोहरन, श्री (मद्रास-उत्तर)
मयावन, श्री (चिदाम्बरम)
मरंडी, श्री (राजमहल)
मरन, श्री मु० (मद्रास-दक्षिण)
मलहोत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मो० रु० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चायल)
महतो, श्री भजहरि (पुरूलिया)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महादेव प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़-उत्तर)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव दत्तात्रय (कोल्हापुर)
मास्टर, श्री भोलानाथ (अलवर)
मिनीमाता, अगमदास गुरू, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री एस० एन० (कनौज)
मिश्र, श्री ग० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री जनेश्वर (फूलपुर)
मिश्र, श्री विभूति (मोतिहारी)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मिश्र, श्री श्रीपति (सुल्तानपुर)
मीना, श्री मीठालाल (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्त राव (दहानु)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नागिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करूर)
मुल्ला, श्री आनन्द नारायण (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम, श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद यूसुफ, श्री (सीवन)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामनाथपुरम)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मृत्युन्जय प्रसाद, श्री (महाराज गंज)
मेघ चन्द्र, श्री (आन्तरिक मनीपुर)
मेनन, श्री कृष्ण (मिदनापुर)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम)

मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता, श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धाड़वाड़-दक्षिण)
मोहिन्द्र कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जागेश्वर (बांदा)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

र

रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)
रजनी देवी, श्रीमती (रायगढ़)
रणजीत सिंह, श्री (खलीलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयम्बत्तूर)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजसेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजाराम, श्री (सेलम)
राजू, डा० द० स० (राजमंड्रि)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनवाद)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राम, श्री तु० (अरारिया)
राम चरण, श्री (खुर्जा)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम धनी दास, श्री (गया)
राम भद्रन, श्री टी० डी० (तिन्द्रीवनम्)
राम मूर्ति, श्री (मदुरै)
राम मूर्ति, श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राम शेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह, डा० (बक्सर)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रोबर्ट्सगंज)
रामपुर, श्री महादेवप्पा (गुलवर्ग)
राय, श्री चितरंजन (जयनगर)
राय, श्री रवि (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोबिबली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (नगर कुरनूल)
राव, श्री रामेश्वर (महबूब नगर)
राव, श्री नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
रेड्डी श्री ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एन्थनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियालगुडा)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री नीलम संजीव (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्रीमती सुधा (मधुगिरी)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री क० (तुमकुर)
लक्ष्मी कान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मन्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)

लिमये, श्री मधु (मुंघेर)
लुत्फुल हक, (जंगीपुर)
लोबो प्रभु, श्री (उदिपि)

व

वंश नारायण, श्री (मिर्जापुर)
वर्मा, श्री प्रेमचन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेई, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
विजयराजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरूप (करौलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीवाश)
विश्वनाथन, श्री तन्नेटि (विशाखापटनम)
विश्वम्भरम, श्री (त्रिवेन्द्रम)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (वीदर)
वेंकटासुब्बया, श्री पें० (नन्दयाल)
वेंकटा स्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रमेशचन्द्र (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञ दत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बेगुसराय)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणी शंकर (बंका)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शशि भूषण, श्री (खारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानन्द, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीर सिंह (बागपत)
शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री वीरेन्द्र कुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर-पश्चिम-बम्बई)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शिकरे, श्री (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नाशाहिब (कोपरगांव)
शिव चंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिव चरन लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपुरेम्टूर)
शुक्ल, श्री शं० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संजीरूपजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
संत बक्स सिंह, श्री (फतेपुर)
संतोषम डा० म० (तिरुचडर)
संबन्धन, श्री (तिरुताणि)
सईद, श्री प० मु० (लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सेट, श्री अब्राहीम सुलेमान (कोजीकोडे)
सत्य नरायण सिंह, श्री (वाराणसी)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु० यू० (नलगौंडा)
सहगल, श्री अ० सिं० (बिलासपुर)
सांधी, श्री न० कु० (जोधपुर)
साम्भली, श्री इस्हाक (अमरोहा)
साधू राम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री श्रीगोपालन (सीकर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामिनाथन, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)
साम्बसिवम, श्री (नागापट्टिणम)
साल्वे, श्री न० कु० (बेतूल)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री जि० ब० (साहाबाद)
सिंह, श्री दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिंह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम कृष्ण (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण (दरभंगा)
सिद्द्य्या, श्री (चामराजनर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दर लाल, श्री झ० (बस्तर)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (शम्बलपुर)
सुब्रावेलू, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूर सिंह, श्री (झाबुपुर)
सूर्य नारायण, श्री को० (एल्लूरू)
सेक्वीरा, श्री (मरमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामे, श्री नं० (पांडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन, श्री द्वैपायन (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद अली, श्री (जलगांव)
सोंधी, श्री मनोहर लाल (नई दिल्ली)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोमसुन्दरम, श्री (थंजावूर)
सोमानी, श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोलंकी, श्री प्र० नं० (कैरा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द्र (गांधी नगर)
स्नातक, श्री नरदेव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)
स्वेल, श्री (आसाम-स्वायत्तशाशी जिले)

ह

हजरनवीस, श्री (चित्तुर)
हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रुगढ़)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दर, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)
हीरजी भाई, श्री (बांसबाडा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

डा० गु० सिं० ढिल्लन

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री गाडिलिंगन गौड

श्री वासुदेवन नायर

श्री एम० बी० राणा

श्री प्रकाशवीर शास्त्री

श्री क० ना० तिवारी

सचिव

श्री श्याम लाल शकधर

भारत सरकार

मंत्रिमंडल के सदस्य

प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वैदेशिक व्यापार मंत्री	श्री ब० रा० भगत
गृह-कार्य मंत्री	श्री यशवन्त राव चह्वाण
रेलवे मंत्री	श्री नन्दा
खाद्य तथा कृषि मंत्री	श्री जगजीवन राम
विधि तथा समाज कल्याण मंत्री	श्री गोविन्द मेनन
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री	डा० वी० के० आर० वी० राव
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री	डा० त्रिगुण सेन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री	श्री के० के० शाह
श्रम तथा पुनर्वास मंत्री	श्री डी० संजीवैया
वैदेशिक-कार्य मंत्री	श्री दिनेश सिंह
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री	श्री सत्य नारायण सिंह

राज्यमंत्री

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री भागवत झा आजाद
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री भक्त दर्शन
स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री	डा० श्रीपति चन्द्रशखर
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री दा० रा० चह्वाण
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री	डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री	श्री इ० कु० गुजराल
पूर्ति मंत्री और वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री र० के० खाडिलकर
पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री जगन्नाथ राव
प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री ल० ना० मिश्र

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री ब० सू० मूर्ति
इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री	श्री रघुरामैया
सिंचाई और विद्युत मंत्री	डा० कु० ल० राव
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री प्र० चं० सेठी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री अन्नासाहिब शिन्दे
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री	श्री शेर सिंह

उप मंत्री

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री रोहन लाल चतुर्वेदी
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री डा० एरिंग
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह
श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री स० चु० जमीर
प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मं० र० कृष्ण
पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री	डा० सरोजिनी महिषी
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री के० एस० रामास्वामी
वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री	श्री राम सेवक
विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री	श्री मु० यूनस सलीम श्रीमती नन्दिनी सत्पथी
सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री भानु प्रकाश सिंह
संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री इकबाल सिंह
वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 20 **फरवरी**, 1970/1 **फाल्गुन**, 1891 (**शक**)
Friday, February 20, 1970/Phalguna 1, 1891 (Saka)

लोक-सभा बारह बजकर चालीस मिनट पर समवेत हुई
The Lok Sabha met at Forty Minutes Past Twelve of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

राष्ट्रपति का अभिभाषण
PRESIDENT'S ADDRESS

सचिव : मैं 20 फरवरी, 1970 को एक साथ समवेत हुई संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण

संसद सदस्यगण,

संसद के इस नए अधिवेशन में आपके कार्यों की सफलता के लिये मैं आप का अभिनंदन करता हूं । मेरी कामना है कि आप अगले वर्ष भी देश की सेवा में निष्ठा पूर्वक कार्य करते रहें ।

2. यह नए दशक का पहला बजट अधिवेशन है । 1969 में समाप्त होने वाला दशक हम पीछे छोड़ आये हैं । इन दस बरसों में चिन्ता, कष्ट और संकट का सामना रहा, लेकिन कुछ उपलब्धियां भी हुई । भारत को दो लड़ाइयों का सामना करना पड़ा और यहां दो बरस तक अभूतपूर्व सूखे की स्थिति रही । सभी देशवासियों ने बड़े हौसले के साथ इन मुसीबतों का सामना किया । लड़ाइयों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये और सूखे की स्थिति के फलस्वरूप हमने संकल्प किया कि हम कृषि उत्पादन को पूरी शक्ति के साथ बढ़ायें । निस्संदेह, इस अवधि में कृषि-विकास के नए कार्यक्रम पर अमल किया गया जिसकी सफलता पर सारे संसार के देशों का ध्यान आकर्षित हुआ ।

3. उद्योगों में मंदी के कारण जो चुनौतियां आईं, उनका भी कई तरीकों से मुकाबला किया गया । बहुत से उद्योगों ने अपने उत्पादन में परिवर्तन करना आरम्भ कर दिया और हमारे माल के लिये नई मंडियां खोजने की कोशिशें और बढ़ा दी गईं ।

4. यदि आजादी से 1969 तक की हमारी उपलब्धियों का लेखा-जोखा लिया जाए, तो माननीय सदस्यगण इस बात को मानेंगे कि हमारे देश ने उद्योग और कृषि, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान तथा शिक्षा और कला के क्षेत्रों में व्यापक उन्नति की है।

5. प्रगति का मार्ग सदा सरल नहीं बल्कि उसमें असफलता, निराशा और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारा देश आज गतिहीन नहीं है। वह गतिमान हो गया है। लोगों की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। वे मुखरित और अक्षम हो उठे हैं— अपनी आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं ऐसे समाज में जहां ऊंच नीच की भावना इस सीमा तक रही कि जिसमें अस्पृश्यता की भ्रष्ट विचारधारा पनपी, अब हम देखते हैं कि विभिन्न श्रेणियों और वर्गों के लोगों में आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास की भावना आ गई है।

6. लोगों में बड़ी ताकत आई हैं और जोश पैदा हुआ है। विचार, रुख और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पर यह जन-सहमति से और राजनैतिक लोकतंत्र के ढांचे के अन्तर्गत ही हो रहा है। पिछले बीस बरसों के विकास कार्यों से उत्पन्न इन शक्तियों को एक नई दिशा, उद्देश्य और प्राप्य लक्ष्य देने के लिये भारत सरकार कृत-संकल्प है।

7. सरकार को इस बात का पूरा ज्ञान है कि देश में असमानता है जो कि कुछ धनी वर्गों के सुख-समृद्धि की पृष्ठभूमि में और भी प्रखर हो उठती है परिणामस्वरूप, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन और गरीबी का उन्मूलन एक ही प्रश्न के दो पहलू हैं। किसी एक की प्राप्ति दूसरे के बिना नहीं हो सकती।

8. सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी जो न्यायपूर्ण एवं मानवीय भावना से ओतप्रोत हो। ऐसा करते समय वह समाज के गरीब वर्गों का विशेष ध्यान रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि राष्ट्र की जो भी थोड़ी-बहुत सम्पदा है, उसे कड़े परिश्रम और निष्ठा से काम करके बढ़ाया जाय। मेरी सरकार का यह उद्देश्य है कि उसका हर कदम देश को एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के गंतव्य की ओर अविचल ले जाए। यह काम लम्बा और कठिन है। न ही हमारे सामने कोई ऐसा उदाहरण है जिससे मार्गदर्शन हो सके। भारत की समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने के लिये हमें अपने तौर-तरीकों, इतिहास और परम्परा को ध्यान में रखते हुए विशुद्ध भारतीय समाधान खोजने होंगे।

9. देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति विकास की गति को बढ़ाने के लिये बहुत आशाप्रद है। देश के कुछ भागों में, जैसे पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में मानसून की कमी और जाड़ों के मौसम में कुछ देरी से वर्षा होने के बावजूद भी पिछले दो वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष अच्छी फसल होगी। यद्यपि चीजों की कीमतों में समय के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहा है और कुछ चीजों की कीमतों में वृद्धि होती भी दिखाई दी है, तो भी सब कुछ देखते हुए कीमतें अच्छी तरह नियंत्रण में हैं। खाद्य स्थिति सन्तोषजनक है और हमने अपने भण्डार में वृद्धि की

है। फिर भी कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिये निरन्तर देखभाल करना जरूरी है शोधन संतुलन सन्तोषजनक रहा है और वर्ष के अन्त तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मानिटरी फंड) को पर्याप्त अदायगी करने के बाद भी आरक्षित-कोष में वृद्धि ही होगी। हमें विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की पहली किश्त भी मिल गई है जिसके कारण युक्तिसंगत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के विकास को महत्वपूर्णगति मिली है । उद्योग में सामान्यतः संतोषजनक वृद्धि हुई है और विशेष तौर से इंजीनियरी के क्षेत्र में स्थिति स्पष्टतया अच्छी हो गई है ।

10. केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने नये कार्यक्रमों के अन्तर्गत खेती-बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने में अपनी कोशिशें और तेज कर दी हैं। अधिक उत्पादन करने वाली फसलों का क्षेत्र-फल 1966-67 में 19 लाख हैक्टेयर था, वह 1968-69 में बढ़कर लगभग 90 लाख हैक्टेयर हो गया। 1969-70 में यह क्षेत्रफल और बढ़ जायेगा। देश में पहली बार खाद सप्लाई करने की स्थिति में सुधार हुआ है और हम खाद का इस्तेमाल बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। ट्रैक्टरों की बढ़ती मांग से यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि व्यवस्था में तकनीक का स्थान तेजी से बढ़ रहा है। देश में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर बनाकर और बड़ी मात्रा में उन्हें विदेशों से मंगाकर सरकार उस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। छोटे उद्यमियों, विशेषकर, इंजीनियरों और तकनीशनों द्वारा कृषि-सेवा केन्द्र खोलने के एक बड़े कार्यक्रम को बैंकिंग क्षेत्र की सहायता से जोरों से कार्यान्वित करने का भी विचार है ।

11. खेती-बाड़ी की पैदावार बढ़ाने और व्यापक रूप से उसका लाभ वितरित करने की दृष्टि से गांवों में बिजली देने का कार्यक्रम तैयार करना और भूमि से जल निकालने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण के बाद राज्यों के बिजली बोर्डों को बैंकों से बड़ी मात्रा में ऋण लेने की सुविधा दे दी गई है। इन साधनों का विशेष प्रयोग ये बोर्ड गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये करेंगे। माननीय सदस्यों को मालूम है कि एक ग्राम बिजली निगम स्थापित कर दिया गया है जो बिजली बोर्डों को धन देने की व्यवस्था करेगा ताकि वे उत्पादक सिंचाई के लिये बड़ी संख्या में पम्पसैट चालू करा सकें।

12. कृषि विकास में उत्कृष्ट सफलता अभी तक उन सिंचाई वाले क्षेत्र तक ही सीमित है जिनपर अधिक उत्पादन करने वाली फसलें उगाई जाती हैं। उसे अब और व्यापक बनाना है। आगे आने वाले बरसों में भारत सरकार अपना ध्यान सूखे क्षेत्रों की समस्याओं पर केन्द्रित करेगी। सूखे क्षेत्रों के लिये उपयुक्त तकनीक के विकास पर अनुसन्धान करने को तो प्राथमिकता दी ही जायेगी। साथ ही, मेरी सरकार का इरादा है कि कुछ नये तरीके अपनाने और धीरे-धीरे कार्यक्रम को व्यापक बनाने की दृष्टि से देश के विभिन्न भागों में कुछ प्रमुख प्रायोजनाएं (पाइलट प्रोजेक्ट) शुरू की जाएं।

13. मेरी सरकार ने कृषि से सम्बद्ध समस्याओं और नीतियों का सर्वेक्षण करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है। अब से पहले ऐसा सर्वेक्षण चालीस वर्ष पहले हुआ था। तब से इस क्षेत्र में इतनी नई बातें हुई हैं कि नया सर्वेक्षण आवश्यक हो

गया है। मेरी सरकार ने चीनी उद्योग की समस्याओं का विशद अध्ययन करने के लिये एक जांच समिति स्थापित करने का भी निश्चय किया है।

14. सरकार को इसका पूरा आभास है कि देहातों में असंतुलन बढ़ रहा है जिससे उत्पन्न तनावों के कारण देश में जहां-तहां हिंसात्मक उपद्रव हुए हैं। ये निस्संदेह सार्वजनिक व्यवस्था की समस्याएं हैं, तो भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हटाकर उन्हें नहीं देखा जा सकता। अनुचित काश्तकारी पद्धति से कृषि उत्पादन की वृद्धि में अड़चनें आना स्वाभाविक है। इसलिये, सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे काश्तकारी की सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए, भूमि-सुधार, उचित लगान, जोत का निर्धारण, भूमिहीनों में भूमि वितरण और छोटे किसानों को कृषिगत वस्तुओं की आपूर्ति करने के कार्यों को अधिक प्राथमिकता दें। भूमि-सुधार से सम्बन्धित समस्याएं राष्ट्रीय महत्व की हैं। मेरी सरकार को पूरी आशा है कि विभिन्न राज्य इस स्थिति की वास्तविकता पर ध्यान देंगे और इसे सुधारने के लिये तत्काल कदम उठाएंगे। भूमि-सुधारों पर तेजी के साथ अमल करने से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम-जन-जातियों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा। मेरी सरकार को इन लोगों के कल्याण की विशेष चिन्ता है।

15. 1966 और 1967 में उद्योग के क्षेत्र में जो झटके आये थे, उनके बाद उद्योगों के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वर्तमान संकेतों के अनुसार, 1969 में औद्योगिक उत्पादन 7 प्रतिशत से कुछ अधिक बढ़ा होगा। वर्तमान औद्योगिक स्थिति की विशेष उत्साहवर्धक बात यह है कि पूंजीगत माल और उपकरण तैयार करने वाले बहुत से उद्योग फिर से अधिक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं।

16. उद्योग लाइसेंस नीति जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने एक नई लाइसेंस नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य होगा—आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा एकाधिकार की भावना के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हुए उद्योगों को बढ़ावा देना। छोटे और मध्यम श्रेणी के उद्यमियों को प्रोत्साहन देना इसकी प्रमुख विशेषता है। सरकार लघु उद्योगों को बढ़ावा देने को बहुत उत्सुक है। इसीलिये, लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची बढ़ा दी गई है।

17. मेरी सरकार के विचार में पब्लिक और प्राइवेट, दोनों सेक्टरों में बड़े-बड़े उद्योगों के लिये इस बात की काफी गुंजाइश है कि वे अनुषंगी उद्योगों को पुर्जे बनाने का काम दें। सरकार की लाइसेंस और वित्त-सम्बन्धी नीतियों का उद्देश्य यह होगा कि बड़े और छोटे उद्योगों के समन्वित विकास को प्रोत्साहन दिया जाये। पिछले कुछ महीनों में सरकार का ध्यान विशेष तौर से इस पर भी गया है कि प्रदेशों के असंतुलन को दूर किया जाय। उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों का पता लगाने और उनके औद्योगिक विकास को विशेष प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक संगठित नीति बनाई गई है।

18. पिछड़े इलाकों के उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में वित्तीय संस्थानों की नीतियों को धीरे-धीरे नया रुख दिया जा रहा है। यह नीतियां इस तरह बनाई जा रही है कि उनकी

सहायता से पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के लिये अधिक धनराशि तो सुलभ कराई जाय, लेकिन वे उस हद तक ही सफल हो सकेंगी कि उन उद्योगों के लिये जिस निचले ढांचे का निर्माण करना जरूरी है, वह जल्दी से तैयार कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और मेरी सरकार संतुलित ढंग से प्रदेशों के विकास को समुन्नत करने में राज्य सरकारों के साथ निकट सामंजस्य रखकर काम करने का प्रयास करेगी।

19 चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में वद्धि आरम्भ हुई है। यह इस बात से स्पष्ट है कि इस्पात और इस्पात से बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। हालांकि उत्पादन में कमी को किसी हद तक पूरा करने के लिए बाहर से इस्पात मंगाने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं-तो भी, हमारा लक्ष्य यह है कि वर्तमान संयन्त्रों से ही सर्वाधिक उत्पादन किया जाए और जहां तक हो सके, जल्दी ही अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जाए।

20 सरकार ने बोकारों प्लांट के दूसरे चरण का कार्य तत्काल आरम्भ करने का निर्णय किया है। निश्चय ही हमारा उद्देश्य यह होगा कि समुचित स्थानों पर अन्य इस्पात करखाने लगाने का काम शुरू किया जाये जिससे कि अवस्थाबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, अतिरिक्त क्षमता तैयार हो सके। आजकल जो चौथी योजना बनाई जा रही है, उससे पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार देश में इस्पात उद्योग का और विस्तार करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रही है। इन निर्णयों का एक महत्व पूर्ण परिणाम यह भी होगा कि हमारे भारी इंजीनियरी कारखानों की क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग हो सकेगा।

21 आर्थिक आत्म-निर्भरता की दिशा में हमारे कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण अंग है—तेल की खोज। चालू वर्ष में तेल खोज निकालने और उसका उत्पादन करने में प्रगति हुई है। 1969 में कुल मिलाकर 67 लाख मीट्रिक टनकच्चे तेल का उत्पादन हुआ जब कि पिछले वर्ष 58 लाख मीट्रिक टन तेल का ही उत्पादन हो सका था। एक नई महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि कैम्बे की खाड़ी के तट से दूर के क्षेत्रों में भी तेल खोजने का काम आरम्भ कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम जल्दी ही छिछले पानी में पहला कुआं खोद लेंगे और फिर कैम्बे की खाड़ी के गहरे पानी में भी तेल की खोज शुरू करने का प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लेंगे। ईरान एवं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का समुद्र तट से परे संयुक्त कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो चुका है।

22 इस्पात और तेल के अलावा, हमारी योजना में खाद बनाने को सबसे ऊंची प्राथमिकता दी गई है। चालू वर्ष में दो नये खाद संयन्त्रों से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है और नाइट्रोजन की कुल स्थापित क्षमता बढ़ाकर 13.4 लाख मीट्रिक टन कर दी गई है। आशा है कि 1970 दुर्गापुर, कोचीन और मद्रास में 500,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता वाले तीन और कारखाने काम करना शुरू कर देंगे। कोयला आधारित संयन्त्रों पर भी काम जल्दी ही आरम्भ हो जायेगा। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम पूरे जोश के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

23 विकास की गति बनाए रखने के लिये यह जरूरी है कि हमारे निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि हो। विदेशों को निर्यात करने की दिशा में पिछले वर्ष बहुत सन्तोष जनक प्रगति हुई। औद्योगिक उत्पादन की गति में हाल की वृद्धि के बावजूद, आयात बराबर गिरता रहा और इस तरह प्रतिस्थापन—आयात में सफलता देखने को मिली। लेकिन, चालू वर्ष के पहले सात महीनों में, बाह्य और आंतरिक कई कारणों से निर्यात उतना अच्छा नहीं हो सका। इस लिए, मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने का एक ठोस कार्यक्रम हाथ में लिया है।

24 हमारे शोध संतुलन में अच्छी साम्यावस्था लाने के लिये अदृश्य खाते में हुई आय का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिशा में इस वर्ष कुछ प्रगति हुई है। यह संतोषजनक बात है कि 1968 के मुकालबे 1969 में पर्यटक अधिक संख्या में भारत आये। इसका परिणाम यह हुआ कि इस खाते में हमारी विदेशी मुद्रा की आय 27 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार हमारे जहाजों के टन भार में वृद्धि होने से समुद्रपार का व्यापार भारतीय जहाजों द्वारा अधिक मात्रा में होने लगा और अब जहाज रानी में भारतीय जहाजों का हिस्सा 18 और 20 प्रतिशत के बीच है।

25 हमारे देशवासियों के रहन-सहन के स्तर की वृद्धि का सम्बन्ध परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से भी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विकास से प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते हैं। पिछले चार वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ा है। परन्तु यदि दस वर्षों में ही आज के जन्म दर को 39 प्रति हजार से 25 प्रति हजार तक कम करने का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना है तो अभी इसके लिये बहुत कुछ करना बाकी है।

26 हमारी आर्थिक नीति के तथ्यों की परिधि यह होनी चाहिये कि रोजगार के लिये धन सम्पदा का उत्पादन अधिक किया जाए और उसका समुचित वितरण हो और साथ ही आय उत्पादक साधन भी बढ़ाए जाएं। ये प्राथमिकताएं चौथी योजना के प्रलेख में दी जाएंगी जो कि जल्दी ही अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगा और आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मेरी सरकार को मालूम है कि बेरोजगारी हमारी अर्थ व्यवस्था के सम्मुख ऐसी गम्भीर समस्या है जिसे जल्दी ही हल करना होगा। पिछले दो वर्षों में संगठित क्षेत्र में, रोजगार की स्थिति अपेक्षाकृत अवरुद्ध रहने के बाद उसमें दो प्रतिशत वृद्धि हुई है; यह आगे के लिये आशाजनक है।

27 केन्द्र और राज्य, दोनों की योजनाओं में, पब्लिक सेक्टर के व्यय में, अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट रूप से वृद्धि इस लिए की गई है कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही ऐसे कदम भी उठाने है कि विकास के साथ-साथ रोजगार भी बढ़े। अधिक रोजगार दिलाने के कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस दिशा में कुछ कदम पहले ही उठा लिये गये हैं। चालू वर्ष में, यह प्रबन्ध किया गया है कि राज्य सरकारें बड़े और छोटे सिंचाई कार्यक्रमों तथा गांवों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिये अधिक धनराशि नियत करें जिससे कि बड़ी संख्या में इंजीनियरों और तकनीशनों

को रोजगार मिल सके। भूमि का कृष्यकरण, छोटे सिंचाई कार्यों के नवीकरण, गांवों को मंडियों के साथ मिलाने के लिये सड़क-निर्माण के कार्यक्रम और ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों से ग्राम विकास और रोजगार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।

28 योजना के अन्तर्गत सुलभ साधनों को इकट्ठा करके गांवों में बड़े पैमाने पर एक निर्माण कार्यक्रम बनाया जायेगा जिससे 12 से 18 महीनों की अवधि में ही कार्यान्वित किया जायेगा। यह एक ऐसा काम है जिसके लिये पर्याप्त रूप से विस्तृत योजना तैयार करनी होगी और राज्य स्तर पर स्थानीय रूप से पहले करनी होगी। निर्माण कार्य से इंजीनियरों, तकनीशनों कुशल और अकुशल कारीगरों को रोजगार मिल सकता है। इस लिये मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि जिन बड़े-बड़े शहरों में विशेषकर मकानों की विकट समस्या है, वहां मकानों के लिये जमीने देने, कम आमदनी वाले लोगों को मकान बनाने और गन्दी बस्तियों की सफाई करने के लिये बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहण और विकास जैसे कार्यक्रमों को पूरा करने के अधिकाधिक साधन जुटाये जाएं।

29 हमारे तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों को भी इस प्रकार का नया रूख देना होगा कि जिससे रोजगार के अवसर बढ़ सकें। हमारे पोलिटेकनीकों में अब जो शिक्षा दी जाती है, उसे उद्योगों के व्यावहारिक अनुभव के साथ जोड़ना होगा इसके लिये पोलिटेकनीकों में दी जाने वाली शिक्षा में परिवर्तन करना होगा ताकि सिद्धान्त को व्यवहार के साथ संबद्ध किया जा सके और प्रशिक्षण को उद्योग कार्य से। इसके साथ ही साथ, हमें अन्य विद्यार्थियों को भी अधिकाधिक अवसर देने हैं जिससे कि वे काम का अनुभव प्राप्त कर सकें। डिग्री स्तर पर पहले दो वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों के लिये राष्ट्रीय सेवा का कार्यक्रम आरम्भ करने का इरादा है जो कि धीरे-धीरे सभी विश्वविद्यालयों पर लागू कर दिया जायेगा। आशा है कि इस योजना में लगभग एक लाख विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को समाज सेवा में लगे रहने का अवसर मिलेगा जिससे वे अनुभव करेंगे कि वे भी राष्ट्र के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार हैं।

30 पूंजी लगाने से अधिक रोजगार मिलेगा पर पूंजी लगाने के लिये अधिक बचत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों का यह भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा। उनकी अधिक शाखाएं खोलने का जो साहसपूर्ण कार्यक्रम है, उससे यह आशा की जा सकती है कि पहले की अपेक्षा अब और बड़े पैमाने पर धन जमा होगा। इसके साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों को पायेदार और उत्पादक योजनाओं के लिये बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में सहायता मिलेगी। राष्ट्रीयकरण की नीति में निहित भावना का प्रभाव बैंकों के कार्य-कलापों पर पड़ने लगा है और उन्होंने खेती-बाड़ी, सेवा-उद्योग और खुदरा व्यापार को उत्पादक और लाभकारी कार्यों के लिये सहायता देना आरम्भ कर दिया है जिनकी अभी तक घोर उपेक्षा की जाती रही है। उच्चतम न्यायालय के हाल में दिये गये निर्णय के आधार पर जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कानून फिर से बन जायेगा, तब जो लाभकारी प्रक्रिया अभी तक अपनाई गई है, वह और भी सक्रिय हो जायेगी।

31 इस स्थिति में मैं सरकार की श्रम नीति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस नीति का हमेशा ही यह उद्देश्य रहा है कि मजदूरों के रहन-सहन और उनके काम करने की दशा में सुधार किया जाये, उनकी मजदूरी और वेतन को बढ़ाया जाये और किसी हद तक उन्हें काम मिलने का आश्वासन भी प्राप्त हो। इस नीति के अनुसार, सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि पत्तन एवं गोदी मजदूरी बोर्डों की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाये। सरकार ने लोहा तथा इस्पात उद्योग में मजदूरी के ढांचे में संशोधन करने के लिये द्विपक्षीय वार्ता तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहन दिया है। सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट हाल में ही प्राप्त हुई है। इस आयोग ने ट्रेड यूनियन आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने और प्रभावकारी सामूहिक मोल-तोल को बढ़ावा देने के लिये कई सिफारिशें की हैं। मेरी सरकार खास तौर से संगठित श्रमिकों के सभी वर्गों से अपील करती है कि वे उत्पादन और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सरकार के प्रयासों में सहयोग दें। अनुशासन एवं निरंतर कठिन परिश्रम के बिना देश अपने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता।

32 लेकिन सामाजिक-आर्थिक उन्नति की दिशा में दिये जाने वाले ये सारे प्रयास तब ही सफल हो सकेंगे जबकि शांति और सामंजस्य का वातावरण और लोक तंत्र के सिद्धांतों में अटूट निष्ठा बनी रहे। इसलिये हिंसा की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति बड़ी चिन्ता का कारण बन गई है। यह समस्या राजनीतिक मतभेदों से परे है और सरकार इसके निराकरण के लिये सभी राजनीतिक दलों और जिम्मेदार नागरिकों का सहयोग चाहती है।

33 हिंसा का सबसे अधिक चिन्ताजनक स्वरूप वह है जब अलग-अलग धार्मिक समुदायों के बीच झगड़ा होता है क्योंकि उससे सभ्य जीवन के सभी मूल्यों का विनाश होता है। 1968 में राष्ट्रीय एकता परिषद् की मीटिंग के बाद से साम्प्रदायिक सम्बन्धों में सुधार दिखाई दिया था, लेकिन फिर अहमदाबाद में दिल को दहला देने वाली घटनाएं हुईं। उससे हमारी प्रतिष्ठा भंग हुई और हमारे गौरव को कलंक लगा। ऐसी घटनाएं हम सब लोगों के लिये चुनौती हैं जो धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की मर्यादा और मानव-जीवन के प्रति आदर रखने में विश्वास करते हैं। हमें इस बात की खास तौर से बहुत चिन्ता है कि उग्रवादी राजनैतिक दल निरन्तर हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकलापों के पीछे एक राजनैतिक विचारधारा है, जिससे वे अपने विध्वंसकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सामाजिक असन्तोष का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हम सामाजिक असन्तोष के वास्तविक कारणों को दूर करने के लिये उत्सुक हैं, लेकिन हिंसात्मक कार्रवाइयों का सख्ती से दमन करना होगा।

34 भूतपूर्व राज्यों के नरेशों ने हमारे इतिहास के एक संकटमय समय में जनता की आकांक्षाओं का आदर करते हुये एक लोकतंत्रीय शासन के अन्तर्गत भारत के शांतिपूर्ण एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी देश-भक्ति का परिचय दिया था। मुझे पूर्ण आशा कि देश के व्यापक हित में वे उसी तरह वर्तमान युग की सामाजिक आवश्यकताओं को समझेंगे और एक बार फिर सद्भाव और सहयोग की भावना दिखायेंगे। राजाओं के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों का हमारे आज के सामाजिक उद्देश्यों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है और वह समता-वादी सामाजिक व्यवस्था से भी मेल नहीं खाते। इसलिये, सरकार ने भारत की पूर्व रियासतों के

राजाओं के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने का फैसला कर लिया है और इस पर अमल करने के लिये कानून लाया जायेगा। लेकिन हमारा यह विचार है कि संक्रमणकाल में कुछ ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिससे कि पूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने का समय मिल सके।

35 मेरी सरकार को पूरी आशा है कि चंडीगढ़ और फजिल्का तहसील के कुछ भाग के सम्बन्ध में जो निर्णय लिये गये हैं, उनसे दोनों पड़ोसी राज्यों के लोग आगे आने वाले रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति लगा सकेंगे। जब भावनायें भड़का दी जाती हैं, तब हर एक को सन्तुष्ट करने वाला कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं होता। लेकिन सरकार को विश्वास है कि जो निर्णय लिये गये हैं, वे न्याय संगत और निष्पक्ष हैं। सरकार जल्दी ही एक कमीशन बिठायेगी जो पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं को फिर से ठीक करने के दावों पर विचार करेगा। भाखड़ा प्रायोजना के प्रबन्ध तथा ब्यास प्रायोजना के निर्माण से सम्बन्धित वर्तमान प्रबन्धों में आवश्यक हेर-फेर करने पर भी सरकार विचार करेगी।

36 हमारी अगली दस वर्षीय जनगणना 1971 के आरम्भ में की जायेगी। इसके साथ हमारे देश की जनगणना के इतिहास के सौ वर्ष पूरे होंगे। भारत में जनगणना विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है और इस प्रकार के पेचीदा और बड़े पैमाने पर किये जाने वाले कार्य की सफलता तब ही सम्भव है जबकि केन्द्र और राज्यों की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी-गण और प्रत्येक नागरिक इसमें अपना सहयोग प्रदान करें।

37 विदेशी मामलों के क्षेत्र में हमने अन्य देशों के साथ अपनी मित्रता बढ़ाने और उसे अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। शांति अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और परस्पर लाभकारी सहयोग के रास्ते पर हम निरन्तर चल रहे हैं।

38 शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांत की स्वीकृति का क्षेत्र बढ़ रहा है। शांतिपूर्ण सहा अस्तित्व का क्षेत्र स्थायी रूप से व्यापक हो जायेगा और इससे मैत्रीपूर्ण सहयोग की नई भावना उत्पन्न होगी, ऐसा हमारा विचार है। हमारा विश्वास है कि सैनिक गुटों का कठोर रुख ढीला पड़ने और शक्ति गुटों के बीच तनाव कम होने से गुटों के अलग रहने के सिद्धांन्त को अब अधिक स्वीकृति मिलने लगी है और राष्ट्रों की स्वतंत्रता समृद्धि और स्थिरता को समुन्नत करने के अवसर बढ़ रहे हैं।

39 यह सन्तोष की बात है कि अपने पड़ोसी देशों—श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान—के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। उन देशों और अन्य देशों के साथ भी आपसी सहयोग और समझ-बूझ के नये रास्ते बराबर खोजे जा रहे हैं।

40 सरकार की यह नीति रही है कि सभी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये। विकासशील देशों के साथ आमतौर से और एशिया के देशों के साथ खासतौर से इस प्रकार के सम्बन्ध बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। जब कि भारत में कृषि और उद्योग का विकास महत्वपूर्ण अवस्था में पहुंच गया है,

हमारे लिये यह सम्भव हो गया है कि हम इस दिशा में भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में कुछ योगदान दे सकें। हमने इस बात का समर्थन किया है कि एशिया एवं दूर-पूर्व के देशों की आर्थिक परिषद् (ईकाफे) के अधीन एशियाई आर्थिक सहयोग मंत्री परिषद् के जरिये व्यापक आधार पर प्रादेशिक प्रबन्ध किये जाये।

41 सरकार सच्चे दिल से यह चाहती है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता के साथ समझ-बूझ, सहयोग और मित्रता बढ़े। हमने वर्तमान गतिरोध को तोड़ने के लिये पाकिस्तान सरकार को कई रचनात्मक सुझाव और प्रस्ताव भेजे। खेद है कि हमने जो पहलकदमियां कीं उनका पाकिस्तान से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला। फिर भी, मेरी सरकार सहयोग की भावना, मित्रता और अच्छे पड़ोसियों के से व्यवहार के आधार पर पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने की निरन्तर कोशिश करती रहेगी।

42 चीन के साथ भी हमारा उद्देश्य यह रहा है कि हम एक-दूसरे देश की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता के परस्पर आदर और एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्ताक्षेप न करने के सिद्धान्तों के आधार पर अपने सम्बन्धों का संचालन करें। हम आशा करते हैं कि चीन हमें अपनी विदेश नीति बरतने और अपने घरेलू मामलों का संचालन करने के हमारे अधिकार का आदर करेगा।

43 मेरी सरकार इस बात से चिंतित है कि पश्चिम एशिया और वियतनाम में लड़ाई का कोई समाधान नहीं हो सका है। इन दोनों लड़ाइयों के कारण विश्व की शांति और स्थिरता पर बुरा असर पड़ा है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक विस्फोटक स्थिति में पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है कि वह सुरक्षा परिषद् के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव पर अमल कराये। वियतनाम में लड़ाई अभी चल रही है। मेरी सरकार ने बराबर यही कहा है कि वहां से तमाम विदेशी फौजों को हटाया जाये ताकि वियतनाम के लोग किसी बाहरी हस्तक्षेप के बगैर अपने भविष्य का स्वयं ही निर्णय कर लें।

44 हमें बहुत से देशों और सरकारों के प्रमुखों का अपने बीच स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष, मैं अपने पड़ौसी मित्र देश, श्रीलंका की यात्रा पर गया था और प्रधान मंत्री ने बर्मा, अफगानिस्तान, जापान और इन्डोनेशिया की यात्रा की थी। ये यात्राएं इन देशों के साथ समझ-बूझ और मित्रता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध हुईं।

45 हम शांति के लिये कटिबद्ध हैं लेकिन हमें ऊंचे स्तर पर अपनी रक्षा की तैयारियां रखने के प्रति भी जागरूक रहना है। हमारी रक्षा सेनाओं को सज्जित करने में आत्म-निर्भरता की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। रक्षा-कार्यों के लिये देश में आत्म-निर्भर औद्योगिक आधार तैयार किया जा रहा है। बहुत तरह के महत्वपूर्ण हथियारों और गोला-बारूद के विषय में हम अब आत्म-निर्भर हो गये हैं। हमने इलेक्ट्रानिक्स, एयरोनाटिक्स और जंगी जहाजों के निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी देश में उत्पादन करने में काफी प्रगति की है।

47 अगले वित्तीय बर्ष (1970-71) के लिये भारत सरकार की आमदनी और खर्च का व्योरा आपके विचार के लिये जल्दी ही रखा जायेगा।

47 चौदह बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण करने का हाल में जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके स्थान पर सरकार संसद् के सामने एक बिल प्रस्तुत करेगी। एक बिल राज्य सभा के सामने पहले से ही है जो कि अनिवार्य वस्तु (संशोधन) अवस्थिति अध्यादेश, 1969 के स्थान पर आ जायेगा। हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 के स्थान पर भी एक बिल रखने का सरकार का इरादा है। सरकार इस सत्र में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद् के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है :—

1. प्रेस परिषद् अधिनियम में संशोधन करने का बिल।
2. राष्ट्रीय सम्मान के प्रति अनादर रोक बिल, 1970।
3. विदेशी सहायता (नियमन) बिल, 1970।
4. फसल बीमा बिल, 1970।
5. समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना के लिये बिल।
6. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये बिल।
7. एन० सी० डी० सी० (संशोधन) बिल, 1970।
8. भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रबन्ध के लिये एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम स्थापित करने के लिये बिल।

48 संसद् सदस्यगण! आप ऐसे समय में यहां इकट्ठा हो रहे हैं जबकि लोग बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का सही मूल्यांकन करें और अपनी विवेकशीलता तथा बुद्धिमत्ता से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें।

———

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह दुःखद सूचना देनी है कि हमारे तीन साथियों श्री एस०आर० राने, श्री एम०के० जीनचन्द्रन और श्री एल०एस० भटकर का निधन हो गया है।

श्री राने वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। वह महाराष्ट्र के बुल्डाना निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे। वह इस सभा के वरिष्ठ सदस्य थे और प्रथम लोक सभा के समय से अब तक चुन कर आते रहे थे। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों जैसे प्राक्कलन समिति और सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति तथा अन्य समितियों में कार्य किया। वह अनेक वर्षों तक सभापति तालिका के सदस्य रहे। वर्ष 1957-66 की अवधि में सरकारी उप-मुख्य सचेतक रहे। वह एक योग्य संसद विज्ञ थे और उन्होंने इस सभा तथा समितियों की कार्यवाही में सक्रिय भाग लिया। स्वास्थ्य ठीक न होने के बावजूद वह गत सत्र में सभा में आते रहे। वह

शिक्षाविज्ञ भी थे और उन्होंने महाराष्ट्र की अनेक शिक्षा संस्थाओं तथा शिक्षा समितियों को बढ़ावा दिया था। 20 जनवरी, 1970 को 69 वर्ष की आयु में भूसावल में उनका निधन हुआ। हम में से एक मिलनसार तथा लोकप्रिय व्यक्ति चल बसा है।

श्री एस० के० जीनचन्द्रन 1945-47 में केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे और 1957-62 में दूसरी लोक सभा के सदस्य रहे थे। 31 जनवरी 1970 को 53 वर्ष की आयु में वैल्लौर में उनका स्वर्गवास हो गया।

श्री एल० एस० भटकर भारत की संविधान सभा, अस्थायी संसद, पहली, दूसरी तथा तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे। 7 फरवरी 1970 को 69 वर्ष की आयु में चिखिली, जिला बुल्डाना में उनका स्वर्गवास हुआ।

हमें इन साथियों के निधन से गहरा दुःख हुआ है और मुझे विश्वास है कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी समवेदनाएं पहुंचाने में सभा मेरे साथ है।

The Prime Minister and the leader of the House (Shrimati Indira Gandhi): Hon. Members of the House are deeply grieved at the sad demise of Shri Rane. He was a member of the Lok Sabha right from 1952 and was an old colleague of ours. He served the cause of education and social welfare and he also set up several institutions in these fields. He took active part in the proceedings of Parliamentary Committees and his contribution is commendable.

Maharashtra has suffered another blow in the death of Shri Bhatkar. He was a member of the Constituent Assembly and of the First, Second and Third Lok Sabha. He was committed to social uplift and worked actively for the welfare of the Scheduled Castes.

Shri Jinachandran was a Member of the Second Lok Sabha. He was an active worker of the Congress in Kerala. He took keen interest in the cooperative movement and in the development of backward classes of Kerala.

I request you, Mr. Speaker, to convey our condolences to the bereaved families of these departed souls.

The Leader of the opposition (Dr. Ram Subhag Singh): We are deeply grieved at the passing away of Shri Rane. As you have said, we do not have his equal in this House. He was of a quiet temperament. He was a very active Member. Whether as Chairman or member of a committee, he conducted himself in such a way that it has left an indelible impression on our minds. He conducted him-self very ably as Deputy Chief Whip. As you have just now stated, he was instrumental in the founding of a member of educational institutions in Maharashtra. He had recently taken initiative for the setting up of a co-operative sugar factory there. He was keenly interested in various other activities and whatever task he undertook, he had the prowess to see it through. At the passing away of such an affable and lovable personality, I, on behalf of the entire House and especially on behalf of the opposition, express our condolence to the members of the bereaved family and pray that his soul may rest in peace.

Shri Jinachandran was also one of such exceptions. He hailed from Kerala and lived at Wynaad. Whoever came in contact with him during the tenure of Second Lok Sabha was very much impressed by his good manners and whenever he spoke on any issue in the House, his arguments appealed to everybody.

Shri Bhatkar was also one of such friends whose memory we shall cherish for ever. Being a member of the Scheduled Castes he not only served the cause of his backward brethren but also considered it his duty to work for all and this was how he functioned in the House as well.

The sudden passing away of such friends has dealt us a grievous blow. We pray that their souls may rest in peace, and convey our condolences to the bereaved families.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : श्री राने के निधन से महाराष्ट्र के किसानों ने एक महान् हिमायती खो दिया है। जब भी इस सभा में कृषकों सम्बन्धी किसी भी विषय पर चर्चा हुई तो श्री राने ने काफी समय तक सत्ताधारी दल का होते हुए भी सम्बन्धित मन्त्रियों से टक्कर ली।

उन्हें इतना साहस था कि उन्होंने दोबारा उप मुख्य सचेतक मनोनीत किये जाने से इन्कार कर दिया जब उन्हें यह महसूस हुआ कि सरकार उनसे ऐसा कार्य कराना चाहती थी जो उनके पद तथा अनुभव के शायां नहीं था।

यह भी उनके नैतिक बल का परिचायक है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को छोड़कर प्रतिपक्षी दल को अपनाया, हालांकि उन्होंने विरोधी दल में शामिल हुए अन्य कांग्रेसी सदस्यों के बीच अपने को अकेला अनुभव किया।

वह साहसी प्रतीत नहीं होते थे परन्तु वह साहसी व्यक्तियों के बीच वास्तव में साहसी थे। उन्होंने बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में भी अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया।

ऐसे व्यक्तियों के निधन से हमारे देश, सार्वजनिक जीवन तथा इस सभा को भारी क्षति हुई है।

श्री भटकर और श्री जीनचन्द्रन का योगदान भी बड़ा सराहनीय रहा है। हमें उनके निधन से अपार दुख हुआ है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): Mr. Speaker, the death has once again dealt us a blow and has snatched away one of our friends from amongst us. He was with us till yesterday. The quiet, sober and affectionate nature of Shri Rane could not but leave a lasting impression on anybody he met, whatever his affiliation. He had been ailing for the last few days but we could not foresee that he would pass away so soon. As a Member of Parliament his qualities will always be remembered. His services outside the House are well known. As a lawyer he fought for the revolutionaries arrested for their terriest activities during August 1942 and succeeded in securing their acquittal. He was a constructive worker and a man of principles. As a social worker he had opened several hostels for harijan students. He was man of few words and his silence had greater impact than words. He showed his worth as a Member of Parliament in various committees. I was also fortunate enough to work with him in various committees. I feel his death is a great loss to Maharashtra. I express my heart felt condolence to his revered memory.

As regards Shri Jinachandran I did not get chance to come into contact with him but I had a chance to work with Shri Bhatkar. I feel that the death of Shri Jinachandran and Shri Bhatkar has left our public life poorer. I on behalf of my party associate myself with the sentiments expressed here and pray to Almighty their souls may rest in peace. Our condolences may be conveyed to the bereaved families of the above colleagues.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, अन्तर सत्रावधि के बाद हम इस सभा में जब भी पुन: समवेत होते हैं तो हमें किसी न किसी सदस्य के निधन पर शोक प्रकट करना पड़ता है। आज हमारे परिचित लोग जो यहां पर अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनके निधन पर हमें अत्यन्त शोक है।

श्री जीनचन्द्रन और श्री भटकर इस सभा के सदस्य रहे थे। मेरा इन दोनों से परिचय था किन्तु श्री राने के साथ मेरा निकट का परिचय था क्योंकि वे इस सभा के सदस्य अन्त तक रहे थे। मैं उन्हें प्रथम संसद के समय से जानता था। विपक्षी दल का सदस्य होने के कारण मुझे उनके विशेष गुण जानने के अनेक अवसर मिले क्योंकि सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक के रूप में उन्होंने अत्यन्त कारगर ढंग से कार्य किया था। वे सरल स्वभाव और दृढ़ चरित्र के व्यक्ति थे। उनमें आत्म सम्मान कूट-कूट कर भरा था। उन्होंने कोई ऐसा कार्य करना कभी स्वीकार नहीं किया जो उनके आत्म सम्मान के प्रतिकूल हो, चाहे उससे उन्हें कोई लाभ ही क्यों न होता हो। वे महाराष्ट्र के सच्चे सपूत थे। यद्यपि अनेक मामलों में हमारे विचार भिन्न थे और हमारा कार्य भिन्न होता था किन्तु उनके चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व का मैं आदर करता था। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि अध्यक्ष महोदय ने उनके लिये लोक प्रिय (लवेबल) शब्द का प्रयोग किया है।

श्री राने तथा अन्य दो सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। मैं अपनी और अपने दल की ओर से अनुरोध करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवारों को हमारी संवेदनाएं पहुंचा देवें।

श्री अ० कु० गोपालन (केसरगोड) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल की ओर से इन सदस्यों के निधन पर व्यक्त की गई भावनाओं के साथ अपनी तथा अपने दल की भावनाएं व्यक्त करता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाई जायें।

Shri Rabi Ray (Puri): Mr. Speaker, I myself and my party associate with the sentiments expressed by you, by the Leader of the House and by the leaders of opposition parties on the sudden demise of these Members and request you to convey condolences to the bereaved families.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इन सहयोगियों के निधन पर शोक प्रकट करते हुए माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वही भावनाएं मैं अपनी तथा अपने दल की ओर से व्यक्त करता हूं। श्री राने मेरे निजी मित्र थे। वे बड़े मिलनसार व्यक्ति थे।

मैं आशा करता हूं कि हमारी भावनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जायेंगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): Mr. Speaker, the whip or the Deputy whip while performing his duty comes also into contact with the Members other than those of his own party. Shri Rane was a Chief whip of the Congress Party in the Second Lok Sabha. He had functioned as a whip of the ruling party successfully. He had a special quality of bringing round the Members of the opposition to his point of view on national issues. I had a chance to work

with him in an advisory committee appointed by the Government on my suggestion that a session of the Parliament be held in the South, I found him quiet and unassuming man who could endear himself to others by his simplicity. All his actions and decisions were guided by national considerations. He was a man of firm convictions

I, on my behalf and on behalf of my party associate with the sentiments expressed by the Members while condoling their death and request you to convey our condolences to the bereaved families.

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, श्री राने तथा अन्य दो सदस्यों के निधन से हमें अत्यन्त शोक हुआ है। संयुक्त संसदीय ग्रुप की ओर से विभिन्न दलों के नेताओं के साथ हम अपना शोक प्रकट करते हैं।

श्री राने एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे अब हमने उन्हें सदा के लिये खो दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे।

Shri Shinkre (Panjim) : Mr. Speaker, Shri Rane was a parliamentarian of great qualities. He was man of firm determination and strong character. Starting his parliamentary career in 1946 as a member of State Legislative Assembly, Shri Rane entered the Lok Sabha and had acted as the Deputy Chief whip with great ability.

He was born in an agriculturist family. He was well acquainted with social problems. He made a great contribution in the field of education also and throughout participated in the activities of the educational institution of his constituency. He took great interest in the welfare of agriculturists. At the time when there was over-whelming demand for the division of Bombay State he was one who strongly opposed this division.

I deeply mourn his death and pray to God that his soul may rest in peace.

अध्यक्ष महोदय : अब हम लोग दिवंगत सदस्यों की स्मृति में कुछ क्षण मौन खड़े होंगे।

इसके पश्चात सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while.

व्यवस्था के प्रश्न
POINTS OF ORDER

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : An extra-ordinary situation has been created in U. P. and Bihar. The Governors of these States have misused their offices. We want to discuss this situation. I, therefore, suggest that an adjournment motion may be admitted otherwise meeting of Business Advisory Committee may be convened and time may be fixed on Monday or Tuesday to discuss the aforesaid situation.

Mr. Speaker : We shall consider these alternatives on Monday.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : It has been observed during the Presidential Address that when the President was addressing the joint session of both the Houses his secretary was giving Hindi version of each paragraph of the Address. In case President was not in a position to address in Hindi, the Vice-President could perform this duty. In view of this a secretary should have not come into the picture. This is improper and against our constitution. I would have been happy if Shri Giri had delivered this Address in Telgu i. e. in his mother tongue.

My second point is that I am at a loss to understand as to why Friday has been fixed for the Presidential Address. I want to know whether Hon. Speaker was consulted in the matter. Can we justify our daily allowance at the rate of Rs. 51/- per day for these three days because we shall be getting the same without transactions of any business ?

The third point is that we should immediately take up the discussion on the adjournment motions.

Mr. Speaker: In so far as Presidential Address is concerned I will consult the constitutional or procedural aspect of the same. I do not think that I can issue any directions to the President. You can, however, bring to my notice if there is any provision as such. In so far as the question of date of session is concerned......

श्री नाथपाई (राजापुर) : अभिभाषण देने और पढ़ने में अन्तर होता है। श्री लिमये राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के विशिष्ट कर्तव्य का उल्लेख कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य समझते हैं कि मैं सेंट्रल हाल में अध्यक्ष का कार्य कर रहा था जो मैंने राष्ट्रपति के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता।

जहां तक सत्र बुलाने की तिथि का सम्बन्ध है, इसे सरकार निश्चित करती है और राष्ट्रपति के माध्यम से आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं। मेरे विचार में सत्र के दिन या समय के बारे में अध्यक्ष को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मुझे पता चला था कि माननीय सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण का अध्ययन करने के लिये तीन दिन का समय चाहते हैं।

श्री नाथपाई : क्या आप से परामर्श किया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचित किया गया था। स्थगन प्रस्ताव के बारे में हम सोमवार को विचार करेंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : तीन दिन के हिसाब से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोमवार को चर्चा होनी चाहिये। परन्तु अब वह बुधवार को चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब वह अधिक समय चाहते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बिहार राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (3) के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा 16 फरवरी, 1970 को जारी की गई उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिसके द्वारा उप-राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए 4 जुलाई, 1969 को बिहार राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है और जो दिनांक 16 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 236 में प्रकाशित हुई है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 2516/70]**

अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम के अधीन अधिसूचना

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं श्री के० के० शाह की ओर से अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) एस० ओ० 320, जो दिनांक 21 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1968 के प्रयोजनों के लिये दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छता और मल निस्सारण से संबंधित सेवा को एक अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है।

(2) एस० ओ० 321, जो कि दिनांक 21 जनवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में स्वच्छता और मल निस्सारण से सम्बन्धित किसी सेवा में हड़तालों को निषिद्ध घोषित करने वाला आदेश दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2517/70]

अध्यादेश

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :–

(1) राष्ट्रपति द्वारा 30 दिसम्बर, 1969 को प्रख्यापित, अत्यावश्यक वस्तु (संशोधन) जारी रखना अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 10) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) राष्ट्रपति द्वारा 2 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित, हरयाणा तथा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 1970 (1970 का संख्या 1)

(3) राष्ट्रपति द्वारा 2 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित, कलकत्ता पत्तन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का संख्या 2) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2518/70]

(4) राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित, बैंकिंग समवाय (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश, 1970 (1970 का संख्या (3) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2519/70]

अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक
ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत किये गये समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत किये गये समय को अगले सत्र के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार, 23 फरवरी, 1970/4 फाल्गुन, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, February 23, 1970/Phalguna 4, 1891 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 23-4-70—340